नाम फैसल

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी : श्री के0 आर0 खौड़, आर0ए0एस0

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार–2017

प्रकरण संख्या 51 / 2017

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

उनवान

मनोहर पिता बन्नालाल रेगर

निवासी शंकरखेड़ा (शाहपुरा) — प्रार्थी / प्रार्थीगण

बनाम

बन्नालाल पिता राधाकिशन रेगर वगैरह

निवासी शाहपुरा — विपक्षी / विपक्षीगण

उपस्थित :– श्री दीपक पारीक अभिभाषक प्रार्थी

निर्णय — दिनांक 10/5/17

प्रार्थी / प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विपक्षी / विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है :– प्रार्थी / प्रार्थीगण के ग्राम शंकरखेड़ा तहसील शाहपुरा / ——— जिला भीलवाड़ा मे स्थित आराजी खसरा नम्बर 860 रकबा 0.25 है ……… कुल किता 1 ……… रकबा 0.25 हैक्टयर की प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / ~~संयुक्त खातेदार~~ काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षी / विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी / प्रार्थीगण एवं विपक्षी / विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है अतः पत्थरगढ़ी कराई जावे।

प्रकरण पंजीबद्व किया जाकर विपक्षी / विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षी / विपक्षीगण ~~बावजूद सूचना उपस्थित नही होने से एक तरफा कार्यवाही की जाकर~~ हाजर आये कोई आपत्ति नहीं की। बहस अभिभाषक प्रार्थी / प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम शंकरखेड़ा संवत 2072 से 2075 तक का अवलोकन किया उपरोक्त वर्णित आराजीयात की प्रार्थी / प्रार्थीगण खातेदार / ~~संयुक्त खातेदार~~ दर्ज होकर अपनी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थी / प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा शंकरखेड़ा मे स्थित प्रार्थी / प्रार्थीगण की उपरोक्त खातेदारी / ~~संयुक्त खातेदारी~~ की आराजीयात किता 1 रकबा 0.25 हैक्टयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान की मौजूदगी मे अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो व कोई प्रकरण न्यायालय मे विचाराधीन न हो तो कब्जे मे हस्तक्षेप नही करते हुए पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा / ——— को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 100/- रूपये कायम किये जाते है जो प्रार्थी / प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा / ——— मौके पर प्राप्त करे। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तफसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/5/17 को सरे इजलास सुनाया गया।

(के0आर खौड़)
उपखण्ड आर0ए0एस0 एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)

प्रतिलिपिः–तहसीलदार, शाहपुरा / ——— पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान की मौजूदगी मे नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलेक्टर
शाहपुरा (भीलवाड़ा)